न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर
(कैम्प कोर्ट रीवा.) म0प्र0

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10
5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

1 क- रेहाना परवीन पत्नी स्व0 नूर मोहम्मद
ख- मो0 इरफान पुत्र नूर मो0
ग- मो0 इमरान पुत्र नूर मो0
घ- रूकसाना परवीन पुत्री नूर मोहम्मद
ङ- अफसाना परवीन पुत्री नूर मो0
च- शहाना परवीन पुत्री नूर मो0

सभी निवासी राज्य परिवहन डिपो के पीछे दरबार मिल के मकान के समीप रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

— अनावेदकगण / गैर निगरानीकर्ता

नोट- माननीय न्याया0 के आदेश दिनांक 30-1-14 के अनुरूप अनावेदक नूर मो0 का नाम काटा जाकर उनके उपरान्त विधिक वारिसों का नाम जोड़ा गया

[signature]

माननीय,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैः-

निगरानी प्रकरण के आधारों को उल्लिखित करने के पूर्व प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है

यह कि प्रकरण की वादग्रस्त भूमियां 6 किता कुल रकवा 1.73ए0, के तत्कालीन भूमिस्वामी आवेदक एवं अनावेदक के बाबा लाल मोहम्मद थे लाल मोहम्मद के दो पुरुष संतान गुलाम मो0 एवं फैज मो0 थे, आवेदक

निग.–1187/तीन/2012

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-1187/तीन/2012 **जिला** रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश जहूर मोहम्मद/नूर मोहम्मद	पक्षकारों एवं अभिभ आदि के हस्ताक्षर
10 –12–2015	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री रामनरेश मिश्रा उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री विजय कुमार मिश्रा उपस्थित। उभयापक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से लिखित तर्क प्रस्तुत किए गये । 2 आवेदक के अधिवक्ता एवं अनावेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा अपने तर्को में वही तथ्य अंकित किए गये हैं, जो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत निगरानी मेमो एवं इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां पुनरांकित न किया जाकर उन पर विचार किया जा रहा है। 3 प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि लाल मोहम्मद विवादित भूमि के भूमि स्वामी थे, लाल मोह0 के दो पुत्र एवं एक पुत्री थे 1.गुलाम मोह.(फोत) 2.फैज मोह0.(फोत) 3. शहनाज बानो पुत्री। प्रथम पुत्र गुलाम मोह0 के पांच पुत्र थे, 1–नूर मो0, 2–जहूर मो0, 3–मकसूद मो0 4–मुख्तार मो0 5–महमूद मो0 इसी प्रकार दूसरे पुत्र फैज मोह0 के चार संताने थीं 1–सरफराज मो0 2–इन्तयाज मो0 3–इंफार मो0 4–राजा। मूल भूमिस्वामी लाल मोह0 द्वारा अपने स्वत्व स्वामित्व की भूमि कमांक 37, 112, 120, 151, 175, 180 कुल रकवा 1.73 है. को अपने जीवन काल में अपने बड़े पुत्र के पुत्र नूर मोह0 के नाम वसीयत दिनांक 15.10.87 को संपादित की गयी । वसीयत कर्ता लाल मोह0 की मृत्यु दिनांक 02.11.87 को हो जाने के फलस्वरूप अनावेदक नूर मोह0 द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 5 दिनांक 15.4.92 ग्राम उमरी हल्का कमांक 52 तहसील हुजूर जिला रीवा में पारित आदेश दिनांक 21.5.1992 के द्वारा राजस्व निरीक्षक से वसीयत के आधार पर अपने नाम नामांतरण कराया गया, जिसमें मृतक लाल मोह0 को पक्षकार बनाया गया, मृतक वसीयतकर्ता के अन्य वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया। पक्षकार न बनाए	

जाने के कारण आवेदक को उक्त वसीयत के आधार पर हुए नामांतरण की जानकारी नहीं हो सकी इस नामांतरण की जानकारी उन्हें तब हुई जब वर्ष 2008 में अनावेदक द्वारा उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के माध्यम से अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दी गयी। तत्पश्चात आवेदक द्वारा नामांतरण संबंधी अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने की कार्यवाही की जाकर उक्त राजस्व निरीक्षक द्वारा किए गये नामांतरण आदेश दिनांक 21.5.92 की प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 17/अ–6/08–09 में पारित आदेश दिनांक 18.6.2010 से अपील में प्रस्तुत धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र पर सुनवाई कर धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण को सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया। अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 18.6.10 की निगरानी कलेक्टर रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गयी । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 80/अ–6/निग./09–10 में पारित आदेश दिनांक 25.7.11 से निगरानी अस्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 18.6.2010 को स्थिर रखा गया । कलेक्टर के आदेश दिनांक 25.7. 2011 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गयी जहां पर प्रकरण कमांक 757/निगरानी/10–11 में पारित आदेश दिनांक 10.4.12 से निगरानी यह अंकित करते हुए कि "आवेदक पिता के जीवित रहते पक्षकार नहीं था"स्वीकार की जाकर कलेक्टर रीवा के आदेश को निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश दिनांक 10 .4. 12 के विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत हुई है।

4 उपरोक्त तथ्यों के संबंध में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर, एवं अपर आयुक्त के न्यायालयीन अभिलेखों का परिशीलन किया गया तथा आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को एवं विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया। अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रकरण में अभी गुणदोष के आधार पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। यह प्रकरण मात्र धारा 5 के आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लिए गये निर्णय के विरूद्ध कियाशील है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में यह अंकित किया गया है कि "मूल नामांतरण प्रकरण में नामांतरण पंजी कमांक 5 दिनांक 15.4.92 पर पारित आदेश दिनांक 21.5.92 में मृतक लाल मोहम्मद को पक्षकार बनाया गया है, जबकि विधि अनुसार मृतक व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता बल्कि मृतक के विधिक वारिसान को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, जो कि मृतक वसीयत

कर्ता के वसीयत ग्रहीता के समान ही विधिक वारिस हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अपने आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन पत्र में विलम्ब का वाजिब कारण अंकित किए गये है, जो विधि में सुस्थापित सिद्धांत के प्रकाश में स्वीकार योग्य हैं। [शारदा विहार विकास समिति वि. म.प्र.राज्य तथा अन्य 2012 रा.नि. 362 सिविल प्रकिया संहिता, 1908–आ.1 नियम 13–में यह प्रतिपादित किया गया है कि आवश्यक पक्षकारों को न तो पक्षकार बनाया गया और न उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया–उनके विरूद्ध आदेश पारित–आदेश पक्षकारों के असंयोजन के दोष की अवैधता से ग्रस्त है–ऐसा आदेश अपास्त किया गया। सलीम खां वि. मध्य प्रदेश राज्य, 1986 रा.नि. 121(उच्च न्याया.) बिना सूचना तथा सुनवाई का अवसर दिए पारित आदेश– ऐसा आदेश साम्य न्यायनीति के समस्त सिद्धांतों एवं नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। सुनवाई का अवसर दिए बिना– किसी भी पक्षकार के विरूद्ध आदेश पारित नहीं किया जा सकता]। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक द्वारा मृतक व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाकर बिना आवश्यक एवं हितबद्ध व्यक्तियो को पक्षकार बनाए तथा उन्हें बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिए जो वसीयत के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया है, उसके विरूद्ध अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर अपील को प्रचलन योग्य मानने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 18.6.10 को कलेक्टर द्वारा स्थिर रखने में भी कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपर आयुक्त द्वारा मात्र यह लिखते हुए कि "मृतक लाल मोह0 के विधिक संतान गुलाम मोह0, ताज मोह0 एवं शहनाज बानो जो प्रथम श्रेणी के वारिस थे ने नामांतरण में कोई आपत्ति नहीं की। पिता के जीवित रहते अनावेदक उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में जहूर मोह0 को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। विद्वान अपर आयुक्त द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया कि वसीयत कर्ता लाल मोह0 की मृत्यु के 5 वर्ष बाद अनावेदक द्वारा नामांतरण कराया गया और उसमें भी आवेदक को एवं वसीयत कर्ता के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया गया। तब जब आवश्यक पक्षकारों को यह पता ही नहीं था कि वसीयत हो गयी है और उसके आधार पर नामांतरण हो गया है, ऐसी स्थिति में आपत्ति न करने की बात का आधार लेना न्यायसंगत नहीं है। अपर आयुक्त का यह कहना भी समीचीन नहीं है कि पिता के जीवित रहते आवेदक प्रकरण में पक्षकार नहीं था क्योंकि प्रथम श्रेणी के वारिसान ने कोई आपत्ति नहीं की थी । अपर आयुक्त द्वारा आदेश जारी करते समय इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया कि आवेदक के पिता की मृत्यु कथित वसीयत के आधार पर हुए नामांतरण

की जानकारी होने से पहले ही हो गयी थी। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अभी अधीनस्थ न्यायालय में गुणदोष के आधार पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है मात्र अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रकरण को अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया हैं जहां पर उभयपक्ष को अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 18.06.2010 से किसी भी पक्ष के हित भी अनुचित रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं।

5 उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 10.04.2012 सहज न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं। अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 10.04.2012 निरस्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 18.6.15 एवं कलेक्टर का आदेश दिनांक 25.7.2011 यथावत रखते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए संहिता में निहित प्रावधानों का पालन करते हुए स्पष्ट बोलता हुआ निर्णय पारित करें। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जावे । पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो।

सदस्य